भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1960
दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

पीएम-पोषण योजना

1960. श्री नवीन जिंदलः

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को पीएम-पोषण योजना से बदल दिया है;
(ख) यदि हां, तो दोनों योजनाओं के बीच अंतर का ब्यौरा क्या है;
(ग) नई योजना की शुरुआत के कारण परिणाम में आए सुधार का ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा संपूर्ण देश में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पौष्टिक और किफायती भोजन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/ उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (घ) पीएम पोषण योजना का कार्यान्वयन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त इनपुट के अनुसार, सरकार ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पात्र बच्चों को पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)' को मंजूरी दी है जिसे पहले 'स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' के रूप में जाना जाता था। सरकार ने पीएम पोषण योजना के तहत निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाओं को भी मंजूरी दी है:-

i. **बालवाटिका का समावेशन:** पूर्व-विद्यालयों अथवा बालवाटिका (कक्षा 1 से पहले) के बच्चों और सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों को पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराना।
ii. **तिथि भोजन**: तिथि भोजन एक सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम है जिसमें लोग नियमित भोजन के अलावा विशेष अवसरों/त्योहारों पर बच्चों को विशेष भोजन उपलब्ध कराते हैं।
iii. **स्कूल पोषण उद्यान**: इस योजना के अंतर्गत स्कूलों में स्कूल पोषण उद्यानों के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि बच्चों को प्रकृति और बागवानी का प्रत्यक्ष अनुभव मिल सके।
iv. **सोशल ऑडिट**: इस योजना के तहत सभी जिलों में सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। सामाजिक अंकेक्षण लोगों की सक्रिय भागीदारी द्वारा किसी योजना की सामूहिक निगरानी है, जिसमें समानता, समता और व्यय प्रबंधन के मुद्दे शामिल हैं।

v. **वोकल फॉर लोकल**: 'वोकल फॉर लोकल' के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निर्धारित पोषण और खाद्य मानदंडों के भीतर स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल मेनू तय करने और किसान उत्पादक संगठनों, महिला स्वयं सहायता समूहों के संघ आदि से स्थानीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थ जैसे मिलेट्स, सब्जियां, मसाले आदि खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि स्थानीय रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके और पोषण मानकों में सुधार किया जा सके।

vi. **विशेष फोकस**: आकांक्षी जिलों/जनजातीय जिलों/कुपोषण के अधिक मामलों वाले जिलों में पूरक पोषण के लिए पर्याप्त प्रावधान।

vii. **आपदा प्रबंधन**: राज्य/केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के रूप में अपनी शक्तियों के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अथवा पूरे देश में आपदा के कारण स्कूल बंद होने पर बच्चों को पका हुआ गर्म भोजन अथवा खाद्य सुरक्षा भत्ते का प्रावधान, घोषित किया जा सकता है।

पात्र बच्चों को पका हुआ गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने सहित योजना के सुचारू संचालन की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की है। भारत सरकार ने सभी राज्यों/ *संघ राज्य क्षेत्रों* को योजना के तहत अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन परोसना सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश आधिकारिक वेबसाइट https://pmposhan. education.gov.in पर उपलब्ध हैं। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ, स्कूलों को भोजन तैयार करने के लिए एगमार्क गुणवत्ता और ब्रांडेड सामान खरीदने, रसोइया-सह-सहायकों को प्रशिक्षण देने, बच्चों को परोसने से पहले कम से कम एक शिक्षक सहित स्कूल प्रबंधन समिति के 2-3 सदस्यों द्वारा भोजन चखने के निर्देश दिए गए हैं।

*****